

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PA1517** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **552** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **JAMIR MIYAN** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231936IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **6:45:07 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
17/02/2012	21/05/2011	15/01/2011	NA	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
233/ 30-01-2024	552 / 01-03-2024	RF394231936IN	6/3/2024	6:45:07 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PA1517** का परमिट संख्या-**503/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2570 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- JAMIR MIYAN , पिता/पति- S/O LATE SAUDAGAR MIYAN, पता- 90.DUMARA ,TOUN VILL-DUMRA ANCHAL-KOTWA EAST CHAMPARAN 999999, मोबाईल नं०- 0,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR55A5575** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **684** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RITI KUMARI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232905IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **3:44:53 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
24/05/2017	05/09/2017	04/04/2016	NA	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
235/ 30-01-2024	684 / 01-03-2024	RF394232905IN	5/3/2024	3:44:53 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR55A5575** का परमिट संख्या-**259/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2571 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RITI KUMARI , पिता/पति- W/O -SUDHANSHU KUMAR, पता- VILL/PO-SARAI SAYED ALI LANE MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं०- 0,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PB7075** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **554** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RITI KUMARI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231817IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **3:51:30 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
07/06/2017	14/04/2017	21/04/2019	NA	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
236/ 30-01-2024	554 / 01-03-2024	RF394231817IN	4/3/2024	3:51:30 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PB7075** का परमिट संख्या-**258/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2572 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RITI KUMARI , पिता/पति- W/O SUDHANSHU KUMAR, पता- AT VILL PO SARAI SAYED ALI LANE MUZAFFARPUR 999999, मोबाईल नं0- 0,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PA8544** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **685** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **ARUN KUMAR SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232945IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **2:39:14 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
25/12/2019	13/05/2024	09/01/2025	11/11/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
238/ 30-01-2024	685 / 01-03-2024	RF394232945IN	5/3/2024	2:39:14 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PA8544** का परमिट संख्या-**455/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2573 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- ARUN KUMAR SINGH , पिता/पति- S/O - NAGESHWAR SINGH, पता- AT- SINGHARHIA SITAMARHI 999999, मोबाईल नं०- 9835833937,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD7620** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **557** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **AJJUR RAHMAN** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232812IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:36:23 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
24/04/2020	25/04/2021	29/10/2021	31/03/2022	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
242/ 30-01-2024	557 / 01-03-2024	RF394232812IN	5/3/2024	4:36:23 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD7620** का परमिट संख्या-**362/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2574/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- AJJUR RAHMAN , पिता/पति- S/O MD WASI AKHTAR, पता- JAMUA DHAKA Purba Champaran 845418, मोबाईल नं०- 7780007779,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06P0896** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **559** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MRS.SARASWATI DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394233101IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **3:50:02 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
09/02/2021	31/05/2024	08/10/2019	06/08/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
251/ 30-01-2024	559 / 01-03-2024	RF394233101IN	5/3/2024	3:50:02 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06P0896** का परमिट संख्या-**421/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2575/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MRS.SARASWATI DEVI , पिता/पति- W/O RAMAKANT MISHRA, पता- SOTIBHERIYAH I KANTI MUZAFFARPUR 999999, मोबाईल नं0- 8051610661,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR04M3051** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **686** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **DULARI DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232959IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**11/3/2024** को समय— **4:37:26 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
08/03/2021	30/11/2021	27/11/2021	16/06/2022	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
254/ 30-01-2024	686/ 01-03-2024	RF394232959IN	11/3/2024	4:37:26 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR04M3051** का परमिट संख्या-**BR2020-SC-0079A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2576/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- DULARI DEVI , पिता/पति- W/O RAM NARESH SINGH, पता- AT PO-CHINTAMANPUR PS-PIPPA EAST CHAMPARAN 841301, मोबाईल नं0- 9973358430,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**JH05AH3859** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **562** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **AASLAISHA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394233115IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **5:12:48 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
22/06/2021	17/05/2024	31/05/2024	16/06/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
255/ 30-01-2024	562 / 01-03-2024	RF394233115IN	6/3/2024	5:12:48 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या—**JH05AH3859** का परमिट संख्या—**070/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2577 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- AASLAISHA , पिता/पति- W/O NISHANT KUNAL, पता- RAJIV NAGAR RD NO 23 PO- KESARI NAGAR PS DIGHA PATNA 999999, मोबाईल नं०- 8935859006 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06P4240** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **687** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SMT.RITU SHARMA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231471IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **4:26:50 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
05/09/2021	20/07/2024	06/03/2025	16/01/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
257/ 30-01-2024	687/ 01-03-2024	RF394231471IN	4/3/2024	4:26:50 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06P4240** का परमिट संख्या-**002/2015** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2578/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SMT.RITU SHARMA , पिता/पति- RANVIR KUMAR, पता- MADHAL KUDHANI MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं0- 8988000000,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR05PA0906** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **688** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **KUNAL** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232830IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:48:06 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
09/10/2021	19/10/2021	02/02/2022	18/08/2021	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
259/ 30-01-2024	688 / 01-03-2024	RF394232830IN	5/3/2024	4:48:06 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR05PA0906** का परमिट संख्या-**BR2020-SC-0394A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2579 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- KUNAL , पिता/पति- S/O - SRI JAI PRAKASH PANDEY, पता- AT-HARDIYA PO-ARERAJ MOTIHARI Purba Champaran 845411, मोबाईल नं0- 7717723422,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06P2516** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **564** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **UDAYSHANKER PD.SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232980IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **2:50:03 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
13/10/2021	16/11/2021	20/09/2021	16/10/2021	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
260/ 30-01-2024	564 / 01-03-2024	RF394232980IN	6/3/2024	2:50:03 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या—**BR06P2516** का परमिट संख्या—**BR/106/SC/BUS/2019/86** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2580 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी— UDAYSHANKER PD.SINGH , पिता/पति— LT.DHARMDEV PD.SINGH, पता— SHERPUR BELA SADAR MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं०— 9471665407,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR30P0112** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **566** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **AJAY KR SHARMA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232993IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **5:38:30 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
30/12/2021	22/03/2021	23/02/2022	29/06/2021	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
263/ 30-01-2024	566/ 01-03-2024	RF394232993IN	6/3/2024	5:38:30 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR30P0112** का परमिट संख्या-**BR/106/SC/BUS/2019/121** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2581 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- AJAY KR SHARMA , पिता/पति- S/O AWDESH KR SHARMA, पता- KUMMA PIPRAHI SHEOHAR 843329, मोबाईल नं- 7250109927,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22P1358** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **572** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SMT.YASHBALA DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231834IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**11/3/2024** को समय— **5:24:24 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
18/03/2022	30/06/2024	13/11/2023	25/01/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
274/ 30-01-2024	572 / 01-03-2024	RF394231834IN	11/3/2024	5:24:24 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22P1358** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-0813A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2582 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SMT.YASHBALA DEVI , पिता/पति- W/O -ANAND KUMAR JHA, पता- AT-SAGAR POKHRA MANDIR PO/PS-BETTIAH Pashchim Champaran 845438, मोबाईल नं०- 9661921336,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PA1590** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **573** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RAJESH KUMAR MEHTA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231848IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **5:57:12 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
22/03/2022	02/06/2024	28/02/2025	15/03/2025	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
275/ 30-01-2024	573 / 01-03-2024	RF394231848IN	4/3/2024	5:57:12 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PA1590** का परमिट संख्या-**BR/106/SC/BUS/2019/77** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2583 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RAJESH KUMAR MEHTA , पिता/पति- S/O KRISHN MOHAN MEHTA, पता- VILL- ISHAKPUR .PO- MAHNAR PS+ANCHAL- MAHNAR VAISHALI 844111, मोबाईल नं0- 9835051187,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06P3405** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **574** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SMT.NITA DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231701IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **12:40:08 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
28/06/2022	19/07/2024	28/09/2022	12/02/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
277/ 30-01-2024	574 / 01-03-2024	RF394231701IN	4/3/2024	12:40:08 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06P3405** का परमिट संख्या-**0258/2013** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2584 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SMT.NITA DEVI , पिता/पति- NAWAL PANDEY, पता- LAURIYA MOTIHARI E.CHAMPARAN Purba Champaran 999999, मोबाईल नं०- 7349984506,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PA7163** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **575** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **PRAKASH KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231321IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **4:09:07 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
19/07/2022	28/07/2024	28/09/2021	08/06/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
278/ 30-01-2024	575 / 01-03-2024	RF394231321IN	4/3/2024	4:09:07 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PA7163** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-1543A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2585 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- PRAKASH KUMAR , पिता/पति- RAJESHWAR PRASAD RAKESH, पता- NARAYANPUR DEDHPURA PS MAHANAR Vaishali 844505, मोबाईल नं०- 9334902252,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PH3539** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **579** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **BSRTC** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231065IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:41:18 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
15/09/2022	01/07/2024	06/06/2024	07/05/2023	3-May-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
283/ 30-01-2024	579 / 01-03-2024	RF394231065IN	5/3/2024	4:41:18 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PH3539** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-2550A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2586 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- BSRTC , पिता/पति- NA, पता- NEW BYPASS ROAD NH 30 PATNA 800001, मोबाईल नं0- 7079326300,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06P8209** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **580** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SAVITRI MISHRA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231984IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **5:46:32 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
18/09/2022	01/06/2024	21/12/2022	21/07/2022	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
284/ 30-01-2024	580 / 01-03-2024	RF394231984IN	4/3/2024	5:46:32 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06P8209** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-1760A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2587 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SAVITRI MISHRA , पिता/पति- UDAY KUMAR MISHRA, पता- RASULPUR ZILANI KAZIMOHMADPUR MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं०- 9473212139,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06P2086** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **581** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RAM JATAN SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231905IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **3:42:31 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
20/09/2022	10/05/2024	12/07/2023	07/08/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
285/ 30-01-2024	581 / 01-03-2024	RF394231905IN	6/3/2024	3:42:31 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06P2086** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-2917A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2588 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RAM JATAN SINGH , पिता/पति- S/O RAM LAKHAN SINGH, पता- CHAK KANCHANPUR RAMPUR BIDUPUR VAISHALI 844101, मोबाईल नं०- 9561028582,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PC3872** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **582** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SHUBHASISH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231896IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **4:15:20 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
28/09/2022	21/01/2022	09/01/2023	16/05/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
287/ 30-01-2024	582 / 01-03-2024	RF394231896IN	6/3/2024	4:15:20 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PC3872** का परमिट संख्या-**251/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2589 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SHUBHASISH , पिता/पति- S/O BIRENDRA KR SINGH, पता- NAYA TOLA KAZIMDPUR MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं०- 9905989860,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PJ9595** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **690** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SUCHITA CHAUDHARY** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394233089IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **4:30:07 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
15/10/2022	11/05/2022	01/09/2023	20/06/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
290/ 30-01-2024	690 / 01-03-2024	RF394233089IN	6/3/2024	4:30:07 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PJ9595** का परमिट संख्या-**BR2020-SC-0146A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2590 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SUCHITA CHAUDHARY , पिता/पति- RADHE SHYAM CHAUDHARY, पता- URMILA APPT F NO 103 ROAD NO 2 RAJ BANSI NAGAR Patna 800023, मोबाईल नं०- 9334382795,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PA8640** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **585** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **GEETA DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231295IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:23:07 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
17/11/2022	20/06/2024	22/06/2020	08/01/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
293/ 30-01-2024	585 / 01-03-2024	RF394231295IN	5/3/2024	4:23:07 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PA8640** का परमिट संख्या-**00111/2014** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2591 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- GEETA DEVI , पिता/पति- W/O SATRUDHAN THAKUR, पता- AT-MADHAUL PO-SUSTA PS-KUDHANI MUZAFFARPUR 999999, मोबाईल नं०- 8998000000,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR25A9465** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **587** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RANDHIR KR SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231220IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**9/3/2024** को समय— **8:15:37 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
18/11/2022	02/10/2023	26/02/2024	17/10/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
295/ 30-01-2024	587 / 01-03-2024	RF394231220IN	9/3/2024	8:15:37 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR25A9465** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-0878A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2592 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RANDHIR KR SINGH , पिता/पति- S/O SHANKAR SINGH, पता- VILL-PIRMEKER TOLA DADANPUR MOKAR SARAN 804408, मोबाईल नं०- 6203375510,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22P1809** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **589** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MADHASUDAN PRASAD** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394230975IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **6:54:40 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
09/12/2022	12/04/2024	20/03/2024	27/03/2025	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
297/ 30-01-2024	589 / 01-03-2024	RF394230975IN	6/3/2024	6:54:40 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22P1809** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-0793A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2593 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MADHASUDAN PRASAD , पिता/पति- S/O RAJESHWAR PRASAD, पता- 137 TOWN VILL-BASVARIYA ANCHAL-BETTIAH BETTIAH 845438, मोबाईल नं०- 7004523233,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR05PA9596** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **591** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **BARUN PRAKASH PANDEY** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231423IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **3:56:32 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
20/12/2022	05/06/2024	10/10/2022	06/08/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
299/ 30-01-2024	591 / 01-03-2024	RF394231423IN	5/3/2024	3:56:32 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR05PA9596** का परमिट संख्या-**BR/106/SC/BUS/2019/68** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2594 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- BARUN PRAKASH PANDEY , पिता/पति- S/O AJAY PANDEY, पता- AT-SHYAM PUR ADAPUR MOTIHARI Purba Champaran 845401, मोबाईल नं0- 7004230596,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PB6321** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **592** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **AJAY KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231366IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **6:15:18 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
21/12/2022	28/06/2024	24/01/2022	20/05/2025	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
300/ 30-01-2024	592 / 01-03-2024	RF394231366IN	4/3/2024	6:15:18 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PB6321** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-1585A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2595 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- AJAY KUMAR , पिता/पति- S/O DEO NANDAN PRASAD SINGH, पता- 64E, RAJENDRA NAGAR PATNA 999999, मोबाईल नं0- 9436986578,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR3P0991** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **594** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **ABHISHEK KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231043IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **3:55:24 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
07/01/2023	30/06/2024	22/11/2023	07/08/2024	14-Jan-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
302/ 30-01-2024	594 / 01-03-2024	RF394231043IN	5/3/2024	3:55:24 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR3P0991** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-0437A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2596/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- ABHISHEK KUMAR , पिता/पति- RAMESBER SINGH, पता- CHAK KANCHANPUR RAHIMAPUR BIDUPUR 851223, मोबाईल नं0- 9661932635,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PL7527** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **599** दिनांक—**01.03.2024** द्वारा वाहन स्वामी— **M/S BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231105IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:41:18 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
24/01/2023	24/04/2024	10/01/2022	26/06/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
307/ 30-01-2024	599 / 01-03-2024	RF394231105IN	5/3/2024	4:41:18 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात

खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PL7527** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0542A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2597/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- M/S BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP , पिता/पति- NA, पता- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH Patna 800001, मोबाईल नं0- 9111111111,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PL7541** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **598** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231114IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:41:18 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
24/01/2023	24/01/2023	24/07/2024	15/01/2022	7-Apr-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
306/ 30-01-2024	598 / 01-03-2024	RF394231114IN	5/3/2024	4:41:18 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PL7541** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0506A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2598 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP , पिता/पति- NA, पता- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH Patna 800001, मोबाईल नं0- 9111111111,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PL7545** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **597** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231468IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:41:18 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
24/01/2023	24/01/2023	24/07/2024	26/06/2024	9-Apr-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
305/ 30-01-2024	597 / 01-03-2024	RF394231468IN	5/3/2024	4:41:18 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PL7545** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0479A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2599 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP ,
पिता/पति- NA, पता- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND
PATEL PATH Patna 800001, मोबाईल नं0- 9111111111,को सूचनार्थ एवं
अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PL7603** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **600** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **M/S BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232865IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**7/3/2024** को समय— **3:52:07 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
26/01/2023	26/07/2024	06/06/2024	25/06/2024	9-Apr-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
308/ 30-01-2024	600/ 01-03-2024	RF394232865IN	7/3/2024	3:52:07 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात

खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PL7603** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0564A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2600 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- M/S BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP , पिता/पति- NA, पता- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH Patna 800001, मोबाईल नं०- 9065777468,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PF2740** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **601** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RITU SHAMRA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232857IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**7/3/2024** को समय— **4:16:48 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
31/01/2023	10/08/2024	14/01/2022	15/01/2025	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
309/ 30-01-2024	601 / 01-03-2024	RF394232857IN	7/3/2024	4:16:48 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PF2740** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0483A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2601 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RITU SHAMRA , पिता/पति- RANVEER KUMAR, पता- MADHAUL PO SUSTA MADHOPUR MUZAFFARPUR 842002, मोबाईल नं0- 9835247340,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR09M2625** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **602** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SUNITA KUMARI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394233092IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **5:47:49 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
13/02/2023	23/07/2024	10/03/2025	10/08/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
313/ 30-01-2024	602 / 01-03-2024	RF394233092IN	6/3/2024	5:47:49 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR09M2625** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0037A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2602 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SUNITA KUMARI , पिता/पति- W/O SUDHIR KISHOR PD SINGH, पता- SARVODAY NAGAR BISHANPUR MIRZAPUR BANDUAR 851129, मोबाईल नं0- 7992420750,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22P1556** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **691** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **ARUN KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232962IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **4:26:01 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
16/02/2023	03/06/2024	14/02/2023	11/10/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
314/ 30-01-2024	691 / 01-03-2024	RF394232962IN	6/3/2024	4:26:01 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22P1556** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-2402A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2603 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- ARUN KUMAR , पिता/पति- S/O -LATE UMESH CHAND, पता- AT/PO-PAHARPUR PS-PAHARPUR MOTIHARI Purba Champaran 845438, मोबाईल नं०- 9525474566,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PL8616** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **603** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232865IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**7/3/2024** को समय— **3:52:07 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
19/02/2023	14/07/2024	14/01/2022	24/08/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
315/ 30-01-2024	603 / 01-03-2024	RF394232865IN	7/3/2024	3:52:07 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PL8616** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0543A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2604 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP , पिता/पति- NA, पता- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH Patna 800001, मोबाईल नं0- 9111111111,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22P7251** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **604** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **KRISHNA SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231729IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **1:15:25 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
31/03/2023	31/05/2024	20/09/2019	28/12/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
319/ 30-01-2024	604 / 01-03-2024	RF394231729IN	6/3/2024	1:15:25 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22P7251** का परमिट संख्या-**0449/2013** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2605/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- KRISHNA SINGH , पिता/पति- S/O -BHOOP NARAYAN SINGH, पता- AT/PO/PS-JAGDISHPUR JAGDISHPUR BETTIAH Pashchim Champaran 845438, मोबाईल नं0- 9771620009,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22M7071** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **606** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **CHANRA BHUSHAN SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231445IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **5:49:21 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
11/05/2023	22/08/2024	09/05/2023	21/05/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
322/ 30-01-2024	606/ 01-03-2024	RF394231445IN	6/3/2024	5:49:21 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22M7071** का परमिट संख्या-**BR2020-SC-0010A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2606/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- CHANRA BHUSHAN SINGH , पिता/पति- S/O -LT. BALRAM SINGH, पता- RAJIV KUMAR AT-BELBAGH PO/PS-BETTIAH Pashchim Champaran 845438, मोबाईल नं0-7261090094,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22Q7071** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **608** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **VINITA DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232843IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:10:22 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
26/05/2023	22/08/2024	06/05/2023	12/07/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
325/ 30-01-2024	608 / 01-03-2024	RF394232843IN	5/3/2024	4:10:22 PM


बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

वाहन स्वामी के आवेदन दिनांक 13.02.2024 द्वारा कार्यालय को सूचित किया गया था कि वाहन ढांचा मरम्मत हेतु गैराज में खड़ी है, परन्तु लगभग 4 माह बीत जाने के बावजूद वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं है। प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22Q7071** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-1016A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2607 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- VINITA DEVI , पिता/पति- W/O -MANOJ KUMAR, पता- AP-RAJIV KUMAR AT-BEL BAGH COLONY BETTIAH Pashchim Champaran 845438, मोबाईल नं0- 7261090094,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD9016** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **609** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **M/S ALOK TRAVELS** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232790IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **5:10:38 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
04/06/2023	27/01/2024	30/11/2024	09/12/2024	8-Jun-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
326/ 30-01-2024	609 / 01-03-2024	RF394232790IN	6/3/2024	5:10:38 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD9016** का परमिट संख्या-**020/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2608/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- M/S ALOK TRAVELS , पिता/पति- I/C ALOK KUMAR SINGH, पता- NH 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHYAPUR Muzaffarpur 842001, मोबाईल नं0- 9431238216,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22P1969** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **612** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SUSHIL KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231573IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **4:57:14 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
09/06/2023	08/07/2024	11/06/2022	06/09/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
329/ 30-01-2024	612 / 01-03-2024	RF394231573IN	4/3/2024	4:57:14 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22P1969** का परमिट संख्या-**524/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2609 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SUSHIL KUMAR , पिता/पति- S/O UMESH CHANDRA SINGH, पता- PAHARPUR PAHARPUR Purba Champaran 845458, मोबाईल नं०- 9199088786,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD1001** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **613** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MADHUKAR KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231383IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **4:26:50 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
14/06/2023	17/06/2024	08/06/2022	27/09/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
331/ 30-01-2024	613 / 01-03-2024	RF394231383IN	4/3/2024	4:26:50 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD1001** का परमिट संख्या-**002/2018** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2610/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MADHUKAR KUMAR , पिता/पति- S/O BAIDHANATH PD SINHA, पता- VILL MADHUAL PO MADHOPUR SUSTA MADHAUL MUZAFFARPUR 999999, मोबाईल नं0- 9135310001,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD1116** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **615** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **M/S ALOK TRAVELS** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231689IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **3:57:04 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
18/06/2023	05/05/2022	09/06/2022	09/08/2022	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
334/ 30-01-2024	615 / 01-03-2024	RF394231689IN	6/3/2024	3:57:04 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD1116** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0095A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2611/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- M/S ALOK TRAVELS , पिता/पति- S/O C/O-PROP ALOK KUMAR SINGH, पता- N H 77 KOLHUA DADAR AHYAPUR MUZAFFARPUR 999999, मोबाईल नं0- 9934016368,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06P4871** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **616** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MANOJ KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231851IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **4:57:14 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
20/06/2023	11/07/2024	09/06/2021	21/11/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
335/ 30-01-2024	616/ 01-03-2024	RF394231851IN	4/3/2024	4:57:14 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06P4871** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0424A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2612 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MANOJ KUMAR , पिता/पति- CHANDRA BHUSHAN SINH, पता- PAHADPUR PAHADPUR E.CHAMPARAN Purba Champaran 999999, मोबाईल नं०- 7800000000,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD8916** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **617** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **M/S ALOK TRAVELS** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394246723IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:58:23 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
25/06/2023	26/12/2023	30/11/2024	30/03/2023	8-Jun-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
336/ 30-01-2024	617/ 01-03-2024	RF394246723IN	5/3/2024	4:58:23 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD8916** का परमिट संख्या-**021/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2613 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- M/S ALOK TRAVELS , पिता/पति- I/C ALOK KUMAR SINGH, पता- NH 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHYAPUR Muzaffarpur 842002, मोबाईल नं०- 9431238216, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PC8051** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **618** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MAN MARDAN SHUKLA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231627IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **3:51:30 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
09/07/2023	02/07/2024	02/06/2022	07/07/2022	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
337/ 30-01-2024	618/ 01-03-2024	RF394231627IN	4/3/2024	3:51:30 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PC8051** का परमिट संख्या-**0201/2013** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2614/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MAN MARDAN SHUKLA , पिता/पति- S/O LT RAMDAS SHUKLA, पता- SPEAKAR LANE NAYA TOLA MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं0- 9431013056,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR04J2664** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **619** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SUSHILA DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231661IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**7/3/2024** को समय— **3:59:17 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
11/07/2023	30/06/2024	04/02/2022	05/03/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
338/ 30-01-2024	619/ 01-03-2024	RF394231661IN	7/3/2024	3:59:17 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

वाहन स्वामी के आवेदन दिनांक 13.02.2024 द्वारा कार्यालय को सूचित किया गया था कि वाहन ढांचा मरम्मत हेतु गैराज में खड़ी है, परन्तु लगभग 4 माह बीत जाने के बावजूद वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं है। प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR04J2664** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-1006A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2615/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SUSHILA DEVI , पिता/पति- W/O -VIJAY KUMAR, पता- A/P-DAHIYAWAN SARAN 841301, मोबाईल नं- 9661012771,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PE4511** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **620** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MAHIP KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231247IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:28:42 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
19/07/2023	19/07/2024	18/07/2024	30/09/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
340/ 30-01-2024	620/ 01-03-2024	RF394231247IN	5/3/2024	4:28:42 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PE4511** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0707A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2616/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MAHIP KUMAR , पिता/पति- LATE RAM NARAYAN SINGH, पता- MAHMADPUR DAMODAR SAKRA BADAL Muzaffarpur 800001, मोबाईल नं0- 9006581351,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD8611** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **626** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MAHIP KUMAR U/L B S R TC** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231255IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:28:42 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
25/08/2023	27/07/2024	18/10/2024	20/11/2024	28-Aug-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
352/ 30-01-2024	626/ 01-03-2024	RF394231255IN	5/3/2024	4:28:42 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD8611** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-2540A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।



06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2617/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MAHIP KUMAR U/L B S R TC , पिता/पति- S/O LT RAM NARAYAN SINGH, पता- AT MAHMADPUR DAMODAR PO MAHMADPUR BADAL PS SAKRA MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं0- 9006581351,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PF2079** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **627** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MR VIBHUTI NARAYAN RAI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231193IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **7:07:32 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
27/08/2023	16/09/2023	17/06/2024	11/04/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
353/ 30-01-2024	627 / 01-03-2024	RF394231193IN	6/3/2024	7:07:32 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PF2079** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-0286A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2618/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MR VIBHUTI NARAYAN RAI , पिता/पति- LATE RAJDEO RAI, पता- TELHUA WARD 8 TELHUA Muzaffarpur 845459, मोबाईल नं0- 7004703026,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR1PA1661** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **629** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **ABHISHEK KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231613IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **3:55:24 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
02/09/2023	15/05/2024	21/12/2024	24/05/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
356/ 30-01-2024	629/ 01-03-2024	RF394231613IN	5/3/2024	3:55:24 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR1PA1661** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-0823A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2619/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- ABHISHEK KUMAR , पिता/पति- RAMESHAR SINGH, पता- CHACK KANCHANPUR RAHIMAPUR BIDUPUR Vaishali 844502, मोबाईल नं0- 9334488625,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD2216** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **630** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **M/S ALOK TRAVELS** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232790IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **5:10:38 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
23/09/2023	21/12/2023	31/10/2023	14/09/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
357/ 30-01-2024	630/ 01-03-2024	RF394232790IN	6/3/2024	5:10:38 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD2216** का परमिट संख्या-**BR2020-SC-0318A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2620 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- M/S ALOK TRAVELS , पिता/पति- I/C C/O PRO ALOK KUMAR SINGH, पता- AT N H 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHIYAPUR MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं0-7294022129,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PF7647** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **636** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **BSRTC** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231410IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:41:18 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
06/10/2023	21/06/2024	06/06/2024	07/05/2023	3-Oct-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
364/ 30-01-2024	636/ 01-03-2024	RF394231410IN	5/3/2024	4:41:18 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PF7647** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0343A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2621 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- BSRTC , पिता/पति- NA, पता- AT-PARIWAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL PATH PATNA 800001, मोबाईल नं0- 7766865601,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PF0455** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **633** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **BSRTC** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231057IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:41:18 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
06/10/2023	30/06/2024	06/06/2024	28/07/2024	22-Nov-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
361/ 30-01-2024	633 / 01-03-2024	RF394231057IN	5/3/2024	4:41:18 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PF0455** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0312A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2622 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- BSRTC , पिता/पति- NA, पता- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH Patna 800001, मोबाईल नं0- 7322936339,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PF0465** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **634** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **BSRTC** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394230992IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:41:18 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
06/10/2023	30/06/2024	06/06/2024	28/07/2024	22-Nov-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
362/ 30-01-2024	634 / 01-03-2024	RF394230992IN	5/3/2024	4:41:18 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PF0465** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0316A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2623 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- BSRTC , पिता/पति- NA, पता- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH Patna 800001, मोबाईल नं0- 7322936339,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PF1220** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **635** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **BSRTC** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231304IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:41:18 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
06/10/2023	31/03/2024	06/06/2024	28/07/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
363/ 30-01-2024	635 / 01-03-2024	RF394231304IN	5/3/2024	4:41:18 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PF1220** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0314A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2624 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- BSRTC , पिता/पति- NA, पता- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH Patna 800001, मोबाईल नं0- 7322936339,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR28P2658** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **641** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **ASHWINI RAI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231499IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **7:07:32 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
21/10/2023	10/11/2023	03/04/2025	14/12/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
371/ 30-01-2024	641 / 01-03-2024	RF394231499IN	6/3/2024	7:07:32 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR28P2658** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0160A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2625/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- ASHWINI RAI , पिता/पति- VIBHUTINARAYAN RAI, पता- 8 TELUA NAUTAN Pashchim Champaran 845459, मोबाईल नं0- 8319137586,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR05PA2483** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **643** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **NITU DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231922IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **4:57:14 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
25/10/2023	11/06/2024	12/04/2025	17/10/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
373/ 30-01-2024	643 / 01-03-2024	RF394231922IN	4/3/2024	4:57:14 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR05PA2483** का परमिट संख्या-**525/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2626/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- NITU DEVI , पिता/पति- W/O SUSHIL KUMAR, पता- PAHARPUR MANGURHA PAHARPUR Purba Champaran 845458, मोबाईल नं0- 6202298448,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR05PB1161** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **642** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **AMITESH KUMAR PANDEY** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231074IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **3:49:50 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
25/10/2023	26/09/2023	29/07/2023	28/11/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
372/ 30-01-2024	642 / 01-03-2024	RF394231074IN	4/3/2024	3:49:50 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR05PB1161** का परमिट संख्या-**521/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2627 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- AMITESH KUMAR PANDEY , पिता/पति- S/O - JAYPRAKASH PANDEY, पता- AT- HARDIYA , ARERAJ EAST CHAMPARAN ,ARERAJ Purba Champaran 845411, मोबाईल नं०- 7004396847,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD5693** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **647** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **KAMAL KISHOR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394233027IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **4:23:07 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
08/11/2023	08/08/2024	17/05/2025	14/11/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
379/ 30-01-2024	647 / 01-03-2024	RF394233027IN	5/3/2024	4:23:07 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD5693** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0125A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2628 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- KAMAL KISHOR , पिता/पति- S/O BINDA MISHRA, पता- AT - PO MADHOUL PS TURKI MUZAFFARPUR 800002, मोबाईल नं0- 9525474566,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PE4604** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **649** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SHIVAM KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394232826IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**7/3/2024** को समय— **6:20:47 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
11/11/2023	27/05/2024	16/03/2025	11/03/2024	22-Mar-26
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
381/ 30-01-2024	649 / 01-03-2024	RF394232826IN	7/3/2024	6:20:47 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PE4604** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-2064A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2629 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SHIVAM KUMAR , पिता/पति- PARASNATH CHAUDHARY, पता- ADD DADHUA PO SUKKI PS PATEPUR Vaishali 843114, मोबाईल नं0- 9525474566,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PF2497** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **653** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SHASHIKANT TIWARI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231176IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **5:38:35 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
16/11/2023	01/08/2024	01/11/2023	30/12/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
387/ 30-01-2024	653 / 01-03-2024	RF394231176IN	4/3/2024	5:38:35 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-BR06PF2497 का परमिट संख्या-BR2023-SC-0689A तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2630 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SHASHIKANT TIWARI , पिता/पति- NAWAL KISHOR TIWARI, पता- ADD JITWARPUR PIPRA Purba Champaran 845419, मोबाईल नं0- 7385061390,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22P8337** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **654** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MITHILESH KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231777IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**12:00:00 AM** को समय— **2:41:08 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
17/11/2023	29/12/2022	11/11/2022	05/11/2022	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
388/ 30-01-2024	654 / 01-03-2024	RF394231777IN	12:00:00 AM	2:41:08 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22P8337** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-3168A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2631 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MITHILESH KUMAR , पिता/पति- S/O - RAMASHRAY PRASAD, पता- AT-PO-DHUMNAGAR CHAURIYA TOLA PS-JAGDISHPUR BETTIAH Pashchim Champaran 845438, मोबाईल नं०- 9113109193,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06P5338** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **655** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RAKESH KUMAR JHA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231030IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **4:53:07 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
24/11/2023	29/06/2024	13/03/2024	18/11/2024	6-Nov-24
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
392/ 30-01-2024	655 / 01-03-2024	RF394231030IN	4/3/2024	4:53:07 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06P5338** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-3187A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2632 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RAKESH KUMAR JHA , पिता/पति- SHIV SHANKAR JHA, पता- VILL-RASULPUR ZILANI MAJHAULIA ROAD PO HPO PS KAZIMDPUR MUZAFFARPUR 845401, मोबाईल नं०- 9709543297,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD5279** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **657** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RAM DINESH SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231794IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **4:11:02 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
25/11/2023	10/07/2024	23/08/2024	14/11/2024	13-Mar-26
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
395/ 30-01-2024	657 / 01-03-2024	RF394231794IN	6/3/2024	4:11:02 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD5279** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0127A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2633 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RAM DINESH SINGH , पिता/पति- S/O LT CHNDESHWAR SINGH, पता- AT - PO CHAHUA PS AURAOI MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं0- 9525474566,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD5282** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **656** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SHANTI DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231352IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**9/3/2024** को समय— **4:06:50 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
25/11/2023	10/07/2024	12/10/2024	26/06/2024	9-Mar-26
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
393/ 30-01-2024	656/ 01-03-2024	RF394231352IN	9/3/2024	4:06:50 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD5282** का परमिट संख्या-**BR2020-SC-0335A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2634 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SHANTI DEVI , पिता/पति- W/O KAMESHWAR SINGH, पता- AT PO BATROULI PS SARAIYA MUZAFFARPUR 999999, मोबाईल नं0- 9525474566,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR05PB1780** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **659** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **DHIRENDRA KUMAR SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231180IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **3:41:41 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
28/11/2023	16/06/2024	18/09/2023	18/11/2022	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
397/ 30-01-2024	659 / 01-03-2024	RF394231180IN	6/3/2024	3:41:41 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेस अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR05PB1780** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-1185A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2635/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- DHIRENDRA KUMAR SINGH , पिता/पति- S/O-YUGAL KISHOR SINGH, पता- AT-PARAS PAKARI CHANAINBANDH, WEST CHAMPARAN, MAJHAULIA Pashchim Champaran 845454, मोबाईल नं0- 8757021411, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22P7801** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **660** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RAKESH KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231159IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**12:00:00 AM** को समय— **2:41:08 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
01/12/2023	29/12/2022	30/06/2022	26/08/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
398/ 30-01-2024	660 / 01-03-2024	RF394231159IN	12:00:00 AM	2:41:08 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22P7801** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-0352A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2636/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RAKESH KUMAR, पिता/पति- S/O -RAMESHWAR PRASAD, पता- AT-CHAUDIHARWA PO-DHUMNAGAR PS-JAGDISHPUR BETTIAH Pashchim Champaran 845438, मोबाईल नं0- 9579879879,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR22PA1131** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **661** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **VISHUTI NARAYAN RAY** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231131IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**6/3/2024** को समय— **7:07:32 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
02/12/2023	13/02/2024	29/01/2025	02/05/2024	12-Mar-26
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
399/ 30-01-2024	661 / 01-03-2024	RF394231131IN	6/3/2024	7:07:32 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR22PA1131** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0766A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2637/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- VISHUTI NARAYAN RAY , पिता/पति- S/O RAJDEO RAY, पता- DAKSHIN TELHUA WARD NO 8 TELUA Pashchim Champaran 845459, मोबाईल नं0- 7004703026 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PC9451** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **662** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **VIJAY KR SHUKLA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231879IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **3:51:30 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
06/12/2023	20/08/2024	04/03/2025	10/11/2024	13-Mar-26
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
402/ 30-01-2024	662 / 01-03-2024	RF394231879IN	4/3/2024	3:51:30 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PC9451** का परमिट संख्या-**014/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2638/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- VIJAY KR SHUKLA , पिता/पति- S/O LT RAM DAS SHUKLA, पता- AT NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK PO HPO PS KAZIMDPUR MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं0-9470000001,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR01PK7646** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **667** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **AVINASH KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231264IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **2:47:01 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
16/12/2023	27/05/2024	08/01/2025	23/06/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
410/ 30-01-2024	667 / 01-03-2024	RF394231264IN	4/3/2024	2:47:01 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR01PK7646** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-1385A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2639 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- AVINASH KUMAR , पिता/पति- S/O- SUBHASH CHANDRA AZAD, पता- AT- LODIPUR NEAR- GORAIYA BABA ASTHAN, MANHGUPUR Patna 801109, मोबाईल नं0- 9122602417, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PE6488** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **668** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SAHIL SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231658IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**11/3/2024** को समय— **6:03:33 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
17/12/2023	28/07/2024	12/02/2025	05/08/2025	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
411/ 30-01-2024	668 / 01-03-2024	RF394231658IN	11/3/2024	6:03:33 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PE6488** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0755A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2640 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SAHIL SINGH , पिता/पति- S/O LAXMAN SINGH, पता- WARD NO 05 SITAB DIYAR DHANAHA Pashchim Champaran 845404, मोबाईल नं0- 8924080871,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PC4840** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **669** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **RITU SHARMA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231675IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**7/3/2024** को समय— **4:16:48 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
18/12/2023	31/07/2024	21/11/2020	08/01/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
413/ 30-01-2024	669 / 01-03-2024	RF394231675IN	7/3/2024	4:16:48 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PC4840** का परमिट संख्या-**018/2015** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2641 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- RITU SHARMA , पिता/पति- W/O RANVEER KUMAR, पता- AT MADHUAL PO MADHOPUR SUSTA PS TURKI MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं०- 8340658327, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PC3871** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **670** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **GODAWARI DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231882IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**7/3/2024** को समय— **4:01:26 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
19/12/2023	12/07/2024	15/12/2022	28/12/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
414/ 30-01-2024	670/ 01-03-2024	RF394231882IN	7/3/2024	4:01:26 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PC3871** का परमिट संख्या-**132/2019** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2642 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- GODAWARI DEVI, पिता/पति- W/O RAGHWESH KUMAR, पता- 101 BRAHMPURA ANCHAL MUSHAHARI MUZAFFARPUR 999999, मोबाईल नं०- 9933212221, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PD3251** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **672** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **MAN MARDHAN SHUKLA** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231975IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **3:51:30 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
22/12/2023	13/06/2024	21/10/2022	07/07/2022	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
416/ 30-01-2024	672 / 01-03-2024	RF394231975IN	4/3/2024	3:51:30 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PD3251** का परमिट संख्या-**046/2018** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2643 / परि०

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- MAN MARDHAN SHUKLA , पिता/पति- S/O LATE RAMDAS SHUKLA, पता- AT NAYA TOLA PO SPEAKER CHOWK MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं०- 8890000000,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR30PA1785** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **673** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **ALOK KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231454IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **6:46:41 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
28/12/2023	31/07/2024	21/07/2023	29/11/2023	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
420/ 30-01-2024	673 / 01-03-2024	RF394231454IN	4/3/2024	6:46:41 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR30PA1785** का परमिट संख्या-**BR2023-SC-0856A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2644 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- ALOK KUMAR , पिता/पति- S/O RAM SARNAGAT SINGH, पता- ATHARI GARGATTA WARD NO 14 PS RUNNISAIDPUR Sitamarhi 843311, मोबाईल नं0- 7488635100,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR05P4389** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **674** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **SHYAM SUNDER SINGH** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231587IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**4/3/2024** को समय— **4:57:14 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
03/01/2024	09/08/2024	26/04/2025	01/03/2025	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
421/ 30-01-2024	674 / 01-03-2024	RF394231587IN	4/3/2024	4:57:14 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR05P4389** का परमिट संख्या-**BR2021-SC-0498A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2645/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

- प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- SHYAM SUNDER SINGH, पिता/पति- S/O -LATE UMESH CHANDRA SINGH, पता- AT-PAHARPUR PO-PS-PAHARPUR DIST- E CHAMPARAN MOTIHARI Purba Champaran 845401, मोबाईल नं0- 9939290393,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PC7839** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **676** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **GODAVARI DEVI** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394231539IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**7/3/2024** को समय— **4:01:26 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
04/01/2024	26/05/2024	23/02/2022	15/04/2024	Not Installed
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
423/ 30-01-2024	676/ 01-03-2024	RF394231539IN	7/3/2024	4:01:26 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या—**BR06PC7839** का परमिट संख्या—**BR/106/SC/BUS/2019/84** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2646 / परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- GODAVARI DEVI , पिता/पति- W/O RAGHAVESH KUMAR, पता- ADD 101 BRAHMPURA TOWN/VILL MUZAFFARPUR ANCHAL MUSHAHARI MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं0- 9199636661,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत परमिट वाले 212 वाहनों का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं रहने के कारण प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2024 को परमिट निलंबित करते हुए उक्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी एवं 15 दिनों के अंदर कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। वाहनों का परमिट निलंबन संबंधी आदेश आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (<https://tirhutdivision.nic.in>) एवं नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की गयी। परमिट निलंबन संबंधी आदेश की सूचना स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के दिनांक 09.02.2024 के अंक में भी प्रकाशित कराने के बावजूद 139 वाहनों के मालिकों द्वारा अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं कराया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 02.03.2024 को कुल 139 वाहनों के मालिकों को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया।

वाहन संख्या—**BR06PA6051** का फिटनेश अद्यतन नहीं कराने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक— **678** दिनांक—01.03.2024 द्वारा वाहन स्वामी— **PRAMOD KUMAR** को निर्गत नोटिस निबंधित डाक संख्या—**RF394246476IN** द्वारा उनके पते पर भेजा गया, जो दिनांक—**5/3/2024** को समय— **3:44:53 PM** बजे "**Delivered**" प्रदर्शित हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराया गया है और न ही बस के परिचालन नहीं होने के संबंध में कोई सूचना ही दी गयी है। ऐसी स्थिति में माना जायेगा कि वे बिना फिटनेश के अपने वाहन का परिचालन कर रहे हैं।

फिटनेश	टैक्स	बीमा	प्रदूषण	वी.एल.टी.डी.
16/01/2024	08/06/2024	25/04/2024	26/07/2024	12-Jan-25
पहला नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	दूसरा नोटिस ज्ञापांक/दिनांक	निबंधित डाक संख्या	तामिला की तिथि	तामिला का समय
432/ 30-01-2024	678/ 01-03-2024	RF394246476IN	5/3/2024	3:44:53 PM

बिना वैध फिटनेश वाले वाहनों का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बिना वैध फिटनेश वाले बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 13 यात्रियों की जान चली गयी। उक्त मामले में परमिट देने हेतु जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है। बीमा वैध नहीं होने पर दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी बस स्वामियों को अपने बसों का सभी कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक 13.04.2023, 03.06.2023 एवं 29.06.2023 एवं प्रभात खबर के दिनांक 03.06.2023 तथा दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में भी सूचना

प्रकाशित कर सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन का कागजात अद्यतन कराने का निदेश दिया गया।

प्राधिकार द्वारा बसों को परमिट यात्रियों की सुविधा के लिए दिया जाता है। परमिट पर अंकित समय-सारणी पर बिना पूर्व अनुमति के बसों का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को असुविधा होती है। कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग चार माह बाद भी वाहन का फिटनेश अद्यतन नहीं कराना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा वाहन संख्या-**BR06PA6051** का परमिट संख्या-**BR2022-SC-1054A** तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उक्त परमिट का टाईम स्लॉट Free किया जाता है।

यदि आवेदक चाहें तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रियानुसार रिक्त टाईम-स्लॉट हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध टाईम-स्लॉट हेतु परमिट स्वीकृत किया जायेगा।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक :- 2647/परि0

दिनांक:- 06.06.2024

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/थानाध्यक्ष, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित वाहन स्वामी- PRAMOD KUMAR , पिता/पति- S/O SATYA NARAYAN THAKUR, पता- AT- NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK MUZAFFARPUR 842001, मोबाईल नं0- 7488287099,को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


06.06.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर